सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 50 राँची, शुक्रवार, 2 पौष, 1938 (श०) / 23 दिसम्बर, 2016 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

11 नवम्बर, 2016

संख्या-5/आरोप-1-673/2014 का0- 9576-- चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री शिवाजी भगत, झा०प्र०से० (द्वितीय बैच, गृह जिला-गोड्डा), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी- सह-अंचल अधिकारी, नाला, सम्प्रति- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ठेठईटांगर, सिमडेगा के विरूद्ध श्री तारकनाथ मंडल से 30000/- (तीस हजार) रूपये रिश्वत लेने तथा बिना स्थल जाँच किये मौजा-नाला, जिला- जामताड़ा के दाग सं०-433 के विवादित जमीन पर हो रहे निर्माण कार्य को रोकने संबंधी प्राप्त आवेदन पर क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कार्रवाई करने संबंधी आरोप, जैसा कि उपायुक्त, जामताड़ा के पत्रांक-324/स्था०, दिनांक 23 सितम्बर, 2016 से प्राप्त संलग्न प्रपत्र- 'क' में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है ।

2. उपायुक्त, जामताड़ा के पत्रांक-42/स्था०, दिनांक 1 फरवरी, 2011 द्वारा श्री भगत के विरूद्ध श्री तारकनाथ मंडल से 30000/- (तीस हजार) रूपये रिश्वत लेने संबंधी आरोप प्रपत्र-'क' में गठित कर उपलब्ध कराया गया था । इन आरोपों की जाँच हेतु विभागीय संकल्प सं०-1428, दिनांक

18 मार्च, 2011 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई । संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-134, दिनांक 1 अप्रैल, 2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित कर जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसकी समीक्षा के क्रम में पाया गया कि आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध जिस कार्य के लिए रिश्वत लेते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया, उस कार्य के आधार पर जो विभागीय दायित्व बनता था, वह आरोप पत्र में सम्मिलित होना चाहिए था । समीक्षोपरांत, श्री भगत के विरूद्ध पुनः नये सिरे से आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया, जिसके आलोक में उपायुक्त, जामताड़ा के पत्रांक-324/स्था०, दिनांक 23 सितम्बर, 2016 द्वारा संशोधित प्रपत्र-'क' गठित कर उपलब्ध कराया गया ।

3. इस संशोधित प्रपत्र-'क' में प्रतिवेदित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17(2) के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है ।

4. तदनुसार, एतद् द्वारा श्री भगत को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ ।

5. श्री भगत द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हैं ।

6. श्री भगत के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अंचल अधिकारी, नाला को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है ।

7. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

दिलीप तिर्की,
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 50--50